न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu075RLR012 Shambhusingh n ors Vs Bhanwarlal etc

1. शम्भूसिंह पुत्र गजेसिंह राजपूत
2. मालाराम पुत्र देवाराम सुथार
   निवासी मोकमगढ धीरपुर,
   तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. भंवरलाल पुत्र उमाराम कुम्हार
2. श्रीमती शिम्भुदेवी पत्नी भंवरलाल कुम्हार
   निवासीगण बालेसर, तहसील बालेसर
   जिला जोधपुर
3. तहसीलदार बालेसर
   जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बालेसर दिनांक 20 फरवरी 2019 प्रकरण संख्या 01/2019 भंवरलाल व अन्य बनाम राजस्थान सरकार

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स
श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 24 अक्तू., 2019

अपीलाण्ट्स ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 1/2019 भंवरलाल व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 20 फरवरी 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत दिनांक 27

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मई 2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। एक अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर अपील के साथ डिकी पर्चा की नकल पेश करने की अनिवार्यता में छूट प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बालेसर द्वारा रास्ते संबंधित समस्याओं के निराकरण अभियान 2016 के दौरान राजस्व ग्राम मोकमगढ एवं धीरपुरा में चल रहे कदीमी रास्ते का राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प12(3)राज-1/2016 दिनांक 24 अगस्त 2016 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58 के तहत प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2018 को तहसीलदार बालेसर के प्रस्ताव का राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10 अगस्त 2016 के अनुसरण में अनुमोदन करते हुए इस आशय का आदेश जारी किया गया कि भूमि का पृथक से खसरा नम्बर कायम कर राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जायेगा मगर भूमि निजी खातेदारी में होने की सूरत में पूर्ववत निजी खातेदारी में रहेगी तथा राजस्व नक्शे में भूमि का लाल स्याही से अंकित किया जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 31 जनवरी 2018 से राजस्व ग्राम मोकमगढ तहसील बालेसर स्थित आराजी खसरा संख्या 937/2 रकबा 2 बीघा के खातेदार रेस्पो. संख्या एक भंवरलाल (जिसके द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से 970.76 वर्गमीटर भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा कर उसके कुछ भाग में दुकाने भी बनवायी) तथा खसरा संख्या 937 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा की खातेदार रेस्पो. संख्या दो शिम्भुदेवी ने अदालत हाजा में राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भू-राजस्व अधिनियम, 1956 अपील प्रस्तुत की, जो अपील अदालत हाजा द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2018 को आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31 जनवरी 2018 मूल खसरा संख्या 937 तथा नवीन खसरा संख्या 937/1 व 937/2 की सीमा तक निरस्त करते हुए बकाया आदेश यथावत रखा गया और उक्त खसरान के संदर्भ में संबंधित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि अनुसार निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये। अदालत हाजा के उक्त निर्णय के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही करते हुए संबंधित पक्षकारान को नोटिस आदि जारी कर सूचित किया गया और बाद आवश्यक कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 फरवरी 2019 पारित कर पूर्व में पारित आदेश 31 जनवरी 2018 वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 937, 937/1 एवं 937/2 की सीमा तक निरस्त कर दिया गया तथा तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि उक्त मार्ग को मुख्य मार्ग से जोडने हेतु अन्य विकल्प/प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के परिपत्र की पालना पूर्ण करते हुए पेश करे। वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति बहाल करे। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील-मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 857 तथा 859 तक आवागमन का एकमात्र रास्ता यही है, अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार अपीलाण्ट्स अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित और प्रकरण में विवादित रास्ते में हितबद्ध पक्षकार है, अतः अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। साथ ही कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में संबंधित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकाण में अपीलाण्ट्स पक्षकार नहीं थे और न ही अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार से सूचित किया गया और न ही उपनकी उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, इसलिए समुचित समय में उन्हें अपीलाधीन आदेश बाबत कोई जानकारी नहीं हो पायी। वर्तमान में कुछ समय पूर्व जब विवादित रास्ते का उपयोग करने में रेस्पो. द्वारा बाधा डाली गयी, और कहा गया कि मेरे द्वारा पूर्व आदेश निरस्त करवा लिया गया है, तो पटवारी हळका से जानकारी करने पर आदेश दिनांक 20 फरवरी 2019 बाबत भान हुआ, बाद आवश्यक कार्यवाही विधिवत नकलें प्राप्त करने पर दिनांक 03 अप्रेल 2019 को अपीलाधीन आदेश बाबत पुख्ता जानकारी हुई और आलौच्य अपील पेश कर दी गयी, अतः जानकारी की दिनांक से अपील मियादशुमार की जाकर गुणागवुण पर स्वीकार की जावे।

जबाब में प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात, जो कि रेस्पो. संख्या एक व दो की खातेदारी भूमि है, में कभी भी रास्ता रहा ही नहीं है। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश दिनांक 31 जनवरी 2018 पारित कर दिया गया था, जिसके खिलाफ अदालत हाजा में अपील पेश की गयी, जो आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। अदालत हाजा के निर्देशों की पालना में जब रेस्पो. संख्या एक व दो को सुनवाई का अवसर दिया गया, तब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाने पर न्यायोचित एवं विधिसम्मतः अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

आलौच्य प्रकरण में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा पारित आदेश कमांक राजस्व/2018/88-89 दिनांक 31 जनवरी 2018 का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि इसमें चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश किये है, जो महज सहायक भू-प्रबंध अधिकारी की हैसियत से राज्य सरकार के परिपत्र/पत्र में प्रदत्त निर्देशों की पालना में किये है। उक्त आदेश राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती के साथ किये है, जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत ही कवर होते है। यह आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए अथवा धारा 251 में कवर नहीं होते है। अपीलाण्ट्स ने इस अपील के माध्यम से रास्ते की सुविधा का अनुतोष चाहा है, जो कि इस प्रकरण के माध्यम से कवर नहीं है।

अतः प्रस्तुत अपील श्रवणाधिकार से परे होने से पोषणीय नहीं होने के कारण अपील मीमो मय दोनों प्रार्थनापत्रों (धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी) सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/X/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर